न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 185/2019 (53/2019)
GCMS NO. : **2019/00022**

–:: प्रार्थीगण ::– **बनाम** **–:: अप्रार्थीगण ::–**

प्रार्थीगण:

1. उगमा पुत्र जगाजी
2. बादर पुत्र मल्लजी
   जातियान–रावत निवासीगण
   रामपुरा तहसील जैतारण
   जिला–पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण:

1. दाना पुत्र स्व. मोतीजी
2. माना पुत्र स्व. मोतीजी
   जातियान–रावत निवासीगण
   रामपुरा तहसील जैतारण
   जिला–पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर पाली।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली।
5. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुनिल प्रजापत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 16/03/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रामपुरा, पटवार हल्का भूम्बलिया भू.अ.नि. क्षेत्र आनन्दपुर कालू (वर्तमान भू.अ.नि. क्षैत्र लाम्बिया) तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 421 कुल रकबा 14–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल कि आई हुई है जिसमें 1/3 हिस्सा यानि 05 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की साथ संलग्न है। सायलान व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा इनके पूर्वज देवा जी थे। देवाजी के जायन्दा पांच पुत्र हमीर, जगा, मोती, कमा, नैना थे। उक्त सभी ने मिलकर अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण आराजी का आपसी रजाबंदी से बंटवारा कर जमीन पर काबिज होकर काश्त करने लग गये। उक्त वादग्रस्त आराजी में हमीर के पुत्र राजू व जगा के पुत्र उगमा, मल्ला तथा मोती के पुत्र दाना, माना के हिस्से में रही है तथा मौके पर तीन बंट किये हुए है। वर्तमान में राजू ने उक्त वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा दाना, माला को देकर उसके बदले में ओडावास की सरहद में दाना, माना का हिसा ले लिया है जिससे दाना, माना के पास दो हिस्से रह गये है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि सेटलमेन्ट के पूर्व से वादी उगमा के पिता [illegible] जी व वादी संख्या 2 बादर के पिता मल्लजी के कब्जा व काश्त में [illegible] टोक के व दाना व माना पि0 मोती जी के जानकारी में होते हुए [illegible] है तथा कब्जे व काश्त में संवत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

2020 से 2023 तत्पश्चात 2026 से 2029 की खसरा गिरदावरी में काश्त व कब्जा जगाजी का दर्ज है तथा फसल ज्वार व बाजरी, गेहू बोया जाना दर्ज है तथा जगाजी, भल्लजी के फौत हो जाने पर वादी उगमा व वादी संख्या 2 बादर द्वारा उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा दिनांक 12.06.2014 को झुझांर श्री मलासिह जी पुत्रश्री जगासिंह की यादगार में पुतली बैठाकर थान बनवाया है और सभी लोग पूजा, अर्चना, धूप, अगरबत्ती करते आ रहे है। खसरा नम्बर 421 की सम्पूर्ण भूमि 14-16 बीघा है जिसमें सायलान 1/3 हिस्सा यानि 05 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से ही लगातार आज दिन तक जगा जी जब जीवित थे तब उनका कब्जा व काश्त था तथा उनके फौत होने पर वादी उगमा का कब्जा काश्त व मल्ल जी जब जीवित थे तब उनका कब्जा व काश्त था तथा उनके फौत होने पर वादी बादर का लगातार आज दिन तक बिना किसी रोक-टोक व रूकावट के निरन्तर गैरसायलान के जानकारी में होते हुए है तथा दाना व माना के पिता मोती जी के फौत होने के पूर्व भी सायलान के कब्जे काश्त की जानकारी दाना व माना को थी इस भूमि के 05 बीघा पर कभी भी दाना व माना का कब्जा काश्त सेटलमेन्ट के पूर्व व पश्चात नही रहा। खसरा नम्बर 421 कुल रकबा 14-16 बीघा में बतौर खातेदार दाना व माना का नाम गलत व गैरकानूनी रूप से इन्द्राज था जो गलत इन्द्राज रद्ध घोषित किये जाने योग्य है। दाना व माना अपने जीवनकाल में उक्त 05 बीघा भूमि से आउट अ०फ पजेशन रहे है। उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि के राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान के नाम गलत व गैरकानूनी रूप में इन्द्राज होने का फायदा उठाकर भूमि को गैरसायलान बेचान, रहन अन्य हस्तान्तरण व बख्शीश वसीयत इत्यादि करने पर उतारू हो सकते है, सायलान को उनके हक व हिस्से से बेदखल कर सकते है। गैरसायलान सेटलमेन्ट के पूर्व से ही उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि में से 05 बीघा भूमि से आउट ऑफ पजेशन में है तथा सायलान निरन्तर बिना किसी रोक टोक के गैरसायलान की जानकारी में काबिज होने से बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये है तथा प्रतिकूल धारण से भी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। गैरसायलान अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से सायलान को बेदखल करने तथा टंटा फसाद कर जबरन लाठी के बल पर काबिज होने के लिए आमादा है तथा दिनांक 25.03.2019 को सायलान के खेत में आकर लडाई झगडा करने के लिये आमादा हो गये तथा जबरदस्ती अपने ट्रैक्टर से सायलान के खेत की खडाई करने लग गये तथा गैरसायलान ने उक्त कृषि भूमि के बेचान करने हेतु अजनबी क्रेता से प्रतिफल की राशि भी ले ली है एवं सायलान को बेदखल कर कब्जा करने हेतु धमकिया ग्राम रामपुरा में दी है इस प्रकार हर हालत में उक्त विवादित कृषि भूमि से सायलान को बेदखल कर बेचान करने पर गैरसायलान आमादा है सायलान द्वारा उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी व गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 26.03.2019 को लेने पर प्रथम बार जानकारी हुई कि कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गैरसायलान का नाम बतौर खातेदार के दर्ज है। गैरसायलान को सायलान को उनके हक हिस्से बेदखल कर खुर्द बुर्द करने का को वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान द्वारा ऐसा दुष्कृत्य करने में सफलता मिल जाती है तो सायलान को उनके हक हकूकों से महरूम होना पडेगा व सायलान को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर भी सम्भव नहीं होगी ऐसी स्थिति में सायलान अपने साम्पैतिक अधिकारों का नुकसान नहीं होने देगें और गैरसायलान का विरोध करेंगें तब दोनों पक्षों में विवाद होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान के दस्तावेजात व मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में तथा गैरसायलान द्वारा उक्त कृषि भूमि का बल पूर्वक लाठी के बल पर सायलान को बेदखल कर किसी अजनबी क्रेता को बेचान, वसीयत हस्तान्तरण कर देते है तो सायलान को अपने साम्पेतिक हक व अधिकारो से मेहरूम होना पड़ेगा तथा सायलान को अपनी कृषि भूमि से गैरसायलान बेदखल कर देते है तो सायलान को असीम हानि होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है। इसलिए गैरसायलान रेकर्ड में किसी प्रकार का रद्धोबदल नहीं करे तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित सायलान की कब्जा काश्त की कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग करे तो गैरसायलान व उसके वारिसान हाली ऐजेन्ट, नौकर–चाकर, परिवारजन इत्यादि सायलान के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व बाधा अड़चन रोकटोक नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के निर्णय तक रोका जावें तथा दौराने दावा गैरसायलान उक्त कृषि भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान, बख्शीश, रहन, हस्तान्तरण करने हेतु गैरसायल सं . 5 के समक्ष बैचान रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेजात पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो उसका पंजीयन नही करे तथा गैरसायल सं. 4 द्वारा बेचान पंजीयन के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत हेतु बेचान रजिस्ट्री पेश करे तो उस अजनबी क्रेता का म्यूटेशन पारित नही करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद के निर्णय तक गैरसायलान को रोका जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो सा. मि. है। गैरसायल संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा रामपुरा पटवार हल्का भूम्बलिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू (वर्तमान भू. अ.नि. क्षैत्र लाम्बिया) तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 421 रकबा 14 बीघ 16 बिस्वा किस्म बारनी अव्वल की भूमि आई हुई है जिसमे सायलान का 1/3 हिस्सा रकब 5 बीघा भूमि पर काबिज होकर काश्त करने का तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सायलान् द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 मे सायलान का नाम बतौर खातेदार काश्तकार कही दर्ज नही है बल्कि गैरसायलान वादग्रस्त जमीन के खातेदार काश्तकार है व गैरसायलान का ही उक्त आराजी पर कब्जा है। पद संख्या 2 में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायलान व गैरसायलान कभी भी संयुक्त परिवार के सदस्य नही रहे ना ही सायलान व गैरसायलान के पूर्वज [illegible] प्रकार सायलान व गैरसायलान संयुक्त परिवार के सदस्य है कोई वंश वृक्ष भी सायलान द्वारा पेश नही हुई ना ही कोई सजरा या सेटलमेन्ट के समय का कोई [illegible] पेश किया। सभी तथ्य कपोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कल्पित व बेबुनियाद व गलत है। सायलान व गैरसायलान के आपसी कोई जमीन का बंटवाडा नही हुआ ना ही सायलान ने वादग्रस्त आराजी पर कोई काश्त की है। हमीर, जगा, देवा, कमा, मोती के आपस मे भाई होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। दाना, माना को कभी भी किसी राजू ने अपना हिस्सा नही दिया क्योकि राजू का कोई हिस्सा इस जमीन में रहा ही नही, वक्त सेटलमेन्ट से गैरसायलान ही उक्त जमीन के मालिक है और काबिज है प्रार्थनापत्र गलत किया गया जो काबिल खारिज के है। संवत् 2020 से 2023 व 2026 से 2029 की गिरदावरी मे भी गैरसायलान के पिता जगा का नाम व कब्जा दर्ज होने का कथन व उक्त भूमि मे जगासिंह का थान होने का कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी रकबा 14–16 बीघा में 1/3 हिस्सा भूमि सायलान की कभी नहीं रही ना ही जग्गा जी कभी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार रहे ना ही उनका कभी कब्जा रहा, ना उगमा, मल्ला का कभी कब्जा रहा ना उनके फौत हेने पर सायलान का कोई कब्जा रहा। उक्त भूमि पर गैरसायलान् दाना, माना व उनके पिता मोती का शुरू से उक्त सैटलमेन्ट के कब्जा काश्त चला आ रहा है जो जमाबन्दी से साबित है। उक्त भूमि पर गैरसायलान का कब्जा नही होने का कथन गलत है। पद संख्या 4 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 421 की भूमि 14 बीघा 16 बिस्वा में से गैरसायलान का नाम कब व कैसे गलत आया मात्र लिख देने से रोंग एन्ट्री नहीं हो जाता है उक्त खातेदारी को सायलान किसी प्रकार से रद्ध घोषित करवाने के अधिकारी नहीं है। गैरसायलान कभी भी आउठ ऑफ पजेशन नही रहे है बल्कि सायलान आउट ऑफ पजेशन है। सही एन्ट्री को राजस्व एजेन्सी द्वारा जांच की कोई आवश्यकता ही नही है गैरसायलान् किसी प्रकर से कोई गलत फायदा नहीं उठा रहे है जब सायलान का कोई कब्जा ही वादग्रस्त आराजी पर नहीं है तो उन्हे बेकब्जा करने का प्रश्न ही नही उठता है सायलान के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। पद संख्या 5 का जबाब है कि वादग्रस्त भूमि मे एक मात्र मालिक व खातेदार गैरसायलान् है जिनकी जमीन का बंटवाडा करवाने का सायलान को कोई अधिकर नही है। इस पद मे वर्णित तथ्य गलत हेने से अस्वीकार है। पद संख्या 6 में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सायलान कभी भी खतोदार नही रहे, न ही कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार हुये है गैरसायलान वृद्ध व्यक्ति है जबरन सायलान उनकी जमीन हडप करन चाहते है। गैरसायलान ने कभी कोई धमकी नही दी ना ही दिनांक 25/03/2019 को लडाई झगडा किया ना ही उक्त आरजी का बेचान गैरसायलान ने किसी अजनबी क्रेता को किया। मात्र प्रार्थनापत्र करने की गरज से झुठे तथ्य अंकित किये है सायलान द्वारा दिनांक 26/03/2019 को गैरसायलान के खातेदारी मे दर्ज भूमि की प्रथम बार जानकारी होने का कथन झुठा है। खातेदार की भूमि में प्रतिवर्ष फसल ऋण, अतिवृष्टि, गिरदावरी आदि पटवारी द्वारा की जती है मगर 70 वर्षो तक सायलान को इस तथ्य की जानकारी नही हो ये तथ्य मानने लायक नहीं है। खातेदार गैरसायलान के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष सायलान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जबाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो, परिस्थितियो एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

दस्तावेजात से तथा मौके पर गैरसायलान के कब्जे काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायलान की बजाय गैरसायलान के पक्ष में प्रमाणित है तथा सायलान द्वारा गलत झूठे मनगढन्त कपोल कल्पितं तथ्यो पर प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र में किसी प्रकार का कोई सायलान के पक्ष में पारित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी सायलान की बजाय गैरसायलान को होगी इसलिए प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दू सायलान् की बजाय गैरसायलान् के पक्ष मे प्रमाणित होने से सायलान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा ग्राम रामपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 421 रकबा 14–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल के संबंध में वाद बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की है। सायल/प्रार्थी ने यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के 5 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण/सायलान के पिता व दादा जगाजी जब जीवित थे तब उनका कब्जा काश्त व उनके फौत होने के पश्चात् प्रार्थी उगमा का एवं मल्ल जी (प्रार्थी के पिता) के फौत होने पर वादी बादर का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं गैरसायलान उक्त 5 बीघा भूमि से आउट ऑफ पजेशन है। अप्रार्थीगण/गैरसायलान ने प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि सायलान द्वारा कोई वंश वृक्षावली पेश नहीं की कि किस प्रकार सायलान व गैरसायलान संयुक्त परिवार के सदस्य है व न ही सेटलमेन्ट के समय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा केवल संवत् 2020–2023 की गिरदावरी प्रस्तुत की है जिसमें कॉलम नम्बर 16 में वादग्रस्त आराजी में दाना व जगा रावत अंकित है। अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम तो प्रार्थी ने यह कथन किया है कि जगाजी के फौत के बाद से प्रार्थी विवादित 5 बीघा भाग पर कब्जा काश्त है पर इस कथन को पुष्ट करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। द्वितीय, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से भी यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार प्राप्त नहीं होता कि किस प्रकार यह फॉटोग्राफ विवादित आराजी की ही है? दूसरी ओर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण/गैरसायलान वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण/सायलान द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तर्क या दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रस्तुत नहीं किये जिससे की प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू प्रार्थीगण/सायलान के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला सायलान/प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुआ है। साथ ही गैरसायलान/अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है एवं जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाये, सुविधा का संतुलन अभिलिखित खातेदार के पक्ष में ही निहित होना माना जाता है। प्रार्थीगण/सायलान द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे सुविधा के संतुलन का बिंदू इनके पक्ष में साबित होता हो। अतः यह बिंदू भी सायलान/प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू सायलान/प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है। प्रार्थीगण/सायलान द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तर्क व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे कि यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हो कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। जबकि गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है एवं बिना किसी आधार के यदि खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग–उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीगण के बजाय गैरसायलान/अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदू भी सायलान/प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायलान/प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज0

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 16/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:48 IST
Reason: SelfAttested